**पंजीकृत डाक से, पावती सहित**

सं.3792/एफएए/2013/ए-22 30 अक्टूबर, 2013

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारीभारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी / बैंक)**

**श्री लोचन मखीजा के दिनांक 15/08/2013 के आवेदन के संबंध में सिडबी के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के दिनांक 17/09/2013 के आदेश के विरुद्ध श्री लोचन मखीजा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत दिनांक 10/10/2013 की अपील**

**पृष्ठभूमि :**

श्री लोचन मखीजा, द्वारा श्री उदय भवालकर, ‘रमा गोविन्द’, प्लॉट नं.5, लेन नंबर/गली क्र-1, सहबास सोसायटी, कर्वे नगर, पुणे – 411052 (महाराष्ट्र) ने अपने दिनांक 15/08/2013 के आवेदन पत्र द्वारा दो मदों पर बैंक से सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया था | उक्त आवेदन का निपटारा बैंक के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने दिनांक 17/09/2013 आदेश सं.1029 द्वारा किया गया जिसमे आवेदन की मद सं.2 से संबंधित सूचना ` 16/- के भुगतान करने पर उपलब्ध कराने का आदेश दिया | मद सं.1 में मांगी गई सूचना को इस आधार पर मना कर दिया कि मांगे गए पत्रों व आवेदनों का प्रणेता स्वयं आवेदनकर्ता है जिसकी सूचना / जानकारी उनके पास पहले से उपलब्ध है | इसलिए मांगी गई सूचना युक्तिसंगत नहीं है | केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक ने दिनांक 10/10/2013 की अपील दायर की है जिसमे अपील में दर्शाए गए विभिन्न कारणों द्वारा यह कहा है कि मद सं.1 के अंतर्गत सूचना ना दिया जाना विधिसम्मत नहीं है |

 ***…2/-..***

**: 2 :**

**निर्णय :**मैंने आवेदक के दिनांक 15/08/2013 के आवेदन पत्र व बैंक के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा पारित आदेश सं.1029 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है और पाया कि आवेदक को उनके आवेदन पत्र की मद सं.2 के अंतर्गत मांगी गई सूचना को उपलब्ध करने का आदेश पहले ही दे दिया गया है | सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक प्राधिकारी को उसके पास उपलब्ध सूचना को अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध कराने का दायित्व है| ऐसी सूचना / अभिलेख जो आवेदक द्वारा स्वयं निर्माण की गई है, उसको फिर से लोक प्राधिकारी से मांगे जाने को अधिनियम के धारा के अंतर्गत युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता | बैंक द्वारा की गई कार्यवाई की सूचना प्रदान करने का आदेश केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा पहले से ही पारित कर दिया गया है, इसलिए इस संबंद्ध में मेरे विचार में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी इन परिस्थितियों में पर्याप्त है तथा उनके आदेश में किसी प्रकार की त्रृटि नही हैं, इसलिए यह अपील निरस्त की जाती हैं ।

आदेश तदनुसार ।

 **ह/-**

**[शैलेन्द्र महलवार]मुख्य महाप्रबंधक तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी**

दिनांक 30/10/2013 का पृष्ठांकन सं.3792ए/एफएए/2013/ए-22

1) श्री लोचन मखीजा, द्वारा श्री उदय भवालकर, ‘रमा गोविन्द’, प्लॉट नं.5, लेन नंबर/गली क्र-1, सहबास सोसायटी, कर्वे नगर, पुणे – 411052 (महाराष्ट्र).

2) श्री उ.शं. लाल, महाप्रबंधक एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, सिडबी, प्रधान कार्यालय, लखनऊ, उ.प्र.

**[सदा बिहारी साहु]सहायक महाप्रबंधक (प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का कार्यालय)**